बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (कैमूर) 02–80/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, कैमूर के पत्रांक–1318 दिनांक–25.09.2024 द्वारा **श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, भगवानपुर, कैमूर** के विरुद्ध सरकारी भूमि के अवैध जमाबंदी कायम करने, सरकारी भूमि की संख्या में लापरवाही बरतने एवं सरकारी कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं लेने एवं समाहर्त्ता, कैमूर के पत्रांक–1559 दिनांक–09.11.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध एक ही भूमि का दो बार दाखिल–खारिज अस्वीकृत करने के उपरान्त पुनः तीसरी बार स्वीकृत करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित दोनों आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–226(15), दिनांक–20.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–24.08.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बिनोद कुमार सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, कैमूर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, कैमूर/अपर समाहर्त्ता, कैमूर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ/श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, भगवानपुर, कैमूर सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–80/2024–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–................................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, कैमूर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ/श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, भगवानपुर, कैमूर **सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता–पाठक सदन, हनुमान नगर, नियर साई अपार्टमेन्ट, औरंगाबाद, बिहार)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–80/2024–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, कैमूर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–80/2024–.....701.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....29/5/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Binod kr singh_CO(Bhagwanpur_kaimur).doc